



पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
योजना, पर्यावरण व सामाजिक प्रबंधन
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली - 2, जम्मू

अन्तर कार्यालय ज्ञापन

From: DGM (PESM & CPIO)
NR-II, Jammu

To: DGM, Hissar

CC: AGM, Vigilance,
NR-II, Jammu for information

Ref No: N2JM/PESM/2014/ 22/7


Dated 30.07.2014

Subject: **Information sought under RTI Act-2005**

Please find enclosed herewith a copy of application received in this office on 30.07.2014 from Shri Balwinder Singh S/O Sh. Man Singh, R/ Village Molviwala, The. Patda, Distt Patiala, Punjab seeking information under RTI Act 2005. IN this connection you are requested to furnish the information sought by the applicant latest by 5.08.14 so that the applicant is informed accordingly.

Till the desired information is received by the CPIO, in terms of Section 5(5) of the RTI Act, 2005, in such case where the desired information are sought from concerned departments, for the purpose of any contravention of the provisions of this Act, the concerned officer shall be treated as deemed CPIO.

Encl: As above


(R. N. Sen)

Copy to DGM, Finance along with IPO No. 77G 295030 for Rs. 50/- for further necessary action.

APPLICATION FORM R.T.I. ACT 2005
FORM A (SEE RULE 3(1))

सेवा में,

श्री मान डिप्टी जनरल मैनेजर,
फवर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया,
हिसार रोड माईयड हॉसी जिला हिसार।

विषय :- गांव गुलाड तहसील पातडा जिला पटियाला गिरे हुए
बिजली के टावर के खर्चा सम्बन्धी जानकारी।

श्री मान जी,

मन प्रार्थी आपसे निम्नलिखित जानकारी हासिल करना है
जो कि हस्ब कानून प्रदान की जावे।

- 1- गांव गुलाड तहसील पातडा जिला पटियाला (पंजाब) मे जो
बिजली के टावर जो माह जुन 2014 मे गिरे है वो कब गिरे
है और उनकी मुरम्मत हेतु क्या खर्चा हुआ। किस जमीदार
को बतौर मुआवजा कितनी कितनी रकम अदा की गई।
कृप्या उपरोक्त अमर की नकल हस्ब जाब्ता आर टी आई
एक्ट के तहत प्रदान की जावें

मै इस निस्बत हस्ब कानून 50/-रूपये का पोस्टल आर्डर लगा रहा हूँ।

दिनांक 23-7-2014

प्रार्थी :- *Balvinder Singh*

बलविन्दर सिंह पुत्र श्री मान सिंह निवासी
गांव मोलवीवाला तह0 पातडा जिला
पटियाला (पंजाब)

मो0न0 098151-71421

प्रबन्धक (दि. ई. 922. 922)
23/7/14

